

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु एकमुश्त रू० 10000/— की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछडा वर्ग/ अल्पसंख्यक कल्याण/समाज कल्याण विभाग में समानान्तर योजना संचालित होने एवं अनुदान राशि रू० 20000/— होने के कारण योजनान्तर्गत अपेक्षित प्रगति नहीं होती है। उच्च स्तरीय निर्णय के क्रम में योजना समाज कल्याण विभाग को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही विचाराधीन है।